# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

**प्रशासनिक आदेश संख्या– 138 /2021**

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार एच0जे0एस0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र संख्या–1039/SALSA-15/2020 (PS/ Sharan) Dated 30-04-2021 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) संख्या–1/2020 IN RE CONTIGION OF COVID -19 IN PRISON के आलोक में हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त हाई पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांकित 26.04.2021 के निर्देशों के दृष्टिगत निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

1– जेलों में बन्द विचाराधीन बन्दियों एवं किशोर अपचारियों को न्यायालयों के समक्ष दिनांक 30.05.2021 तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार न्यायालयों के समक्ष उपरोक्त बन्दियों/किशोर अपचारियों की उपस्थिति वीडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से कराई जा सकती है। विशेष परिस्थतियों में ही अति आवश्यक होने पर न्यायहित में बन्दियों/ किशोर अपचारियों को व्यक्तिगत उपस्थित हेतु न्यायालय में उपस्थिति हेतु आदेशित किया जा सकता है।

2– ऐसे विचाराधीन बन्दी/ किशोर अपचारी जो उन अपराधों के आरोपी हैं जिनमें सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, को 60 दिन के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना है किन्तु उन विचाराधीन बन्दी/ किशोर अपचारियों को रिहा नही किया जायेगा जिनका उल्लेख उक्त पत्रांक के प्रस्तर 10 में उल्लिखित है। हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश के दृष्टिगत अन्तरिम जमानत के निस्तारण हेतु प्रत्येक प्रकरण का पृथक व स्वतन्त्र परीक्षण करना है। अर्थात विशेषतः प्रस्तर 10 व 11 का नियमतः अनुपालन करना है। अतः नामित न्यायिक अधिकारीगण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रत्येक अन्तरिम जमानत के प्रकरण को परीक्षित कर युक्तियुक्त निर्णय लेंगे।

3– नामित न्यायिक अधिकारीगण चाहें तो निम्न मानदण्डों को अनुप्रयोग हेतु विचार कर सकते हैं :–

(A) सम्बन्धित न्यायालय विचाराधीन बन्दी/किशोर अपचारी के अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित समय सीमा के अन्दर सम्बन्धित थाने से आरोपी का आपराधिक इतिहास आहूत कर अवलोकन कर सकते हैं।

(B) आहत का हितः– इस सम्बन्ध में अभियोजन/ संयुक्त निदेशक से आख्या प्राप्त की जा सकती है कि किन विचाराधीन बन्दियों/ किशोर अपचारियों के विरूद्व साक्षी सुरक्षा समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र लम्बित है तथा साक्षी सुरक्षा समिति के द्वारा किन अभियुक्तों के विरूद्व आहतों को सुरक्षा प्रदान की गई है।

(C) अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अभियोजन पक्ष से भी आख्या प्राप्त की जा सकती है कि विचाराधीन बन्दियों/ किशोर अपचारियों की सम्बन्धित अपराध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से जमानत लम्बित है या निरस्त हुई है।

इस प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य मात्र सुझावात्मक प्रकृति का है सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी हाई पावर्ड कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने में प्रत्येक मामले का स्वतंत्र परीक्षण कर न्यायिक विवेक का प्रयोग करेंगे।

4— पत्रांक 1042/SALSA-15/2020 (PS/ Sharan) Dated 02-05-2021 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत विचाराधीन बन्दियों/ किशोर अपचारियों के जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण वीडियो कान्फ्रेन्सिंग/ वर्चुअल मोड के माध्यम से किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए निम्न न्यायिक अधिकारी सत्र न्यायालय से सम्बन्धित अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय व किशोर अपचारियों से सम्बन्धित मामलों के अन्तरिम जमानत के निस्तारण हेतु अधिकृत किया जाता है।

| क्रम संख्या | न्यायालय का नाम | सुनवाई की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट कोर्ट न0—12, सुलतानपुर। | 5.05.2021 |
| 2 | अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या—18, सुलतानपुर। | 05.05.2021 |
| 3 | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0—प्रथम, सुलतानपुर। | 06.05.2021 |
| 4 | अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या—19, सुलतानपुर | 06.05.2021 |
| 5 | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0—द्वितीय, सुलतानपुर। | 10.05.2021 |
| 6 | अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या—17, सुलतानपुर। | 10.05.2021 |

विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट कोर्ट न0—12, सुलतानपुर पीठासीन अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थित रहने पर श्री राकेश कुमार यादव, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट कोर्ट नम्बर—2, सुलतानपुर, तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0—प्रथम, सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश/ अनुपस्थित रहने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0—द्वितीय, सुलतानपुर उक्त न्यायालय का कार्य देखेंगी तथा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0 टी0सी0—द्वितीय, सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश/ अनुपस्थित रहने पर श्री मनोज कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट कोर्ट नम्बर—4, सुलतानपुर उक्त कार्य देखेंगे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर—18, सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थित रहने पर सुश्री सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर—19, सुलतानपुर, तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर—19 के पीठासीन अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थित रहने पर श्री बटेश्वर कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर—17, सुलतानपुर उक्त न्यायालय का कार्य देखेगें। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर—17 , सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश/ अनुपस्थित रहने पर अपर मुख्य न्यायिक मजि0, कोर्ट नम्बर—18, सुलतानपुर उक्त कार्य देखेंगे।

उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित न्यायिक अधिकारीगण के अवकाश रहने पर सम्बन्धित न्यायालय के प्रभारी पीठासीन अधिकारी उक्त न्यायालय का कार्य देखेंगे।

5— नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को आदेशित किया जाता है कि वे कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत सिस्टम आफिसर, सिस्टम असिस्टेन्ट व टेक्निकल मैन पावर को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे जिससे जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई व अन्य आवश्यक कार्य का निष्पादन सुगमता पूर्वक किया जा सके।

6— कारागार अधीक्षक/बाल सम्प्रेक्षण गृह, फैजाबाद से ऐसे विचाराधीन बन्दियों किशोर अपचारियों की सूची प्राप्त की जाय जिनके द्वारा कृत अपराध की अधिकतम सजा 07 वर्ष तक हो उन्हे इस आदेश की प्रति के साथ, पत्रांक 1039/SALSA-15/2020 (PS/ Sharan) Dated 30-04-2021 एवं पत्रांक 1042/SALSA-15/2020 (PS/ Sharan) Dated 02-05-2021 प्रेषित की जाय।

7— उपरोक्त न्यायिक अधिकारीगण सप्ताह में तीन दिवस वीडियो कान्फ्रेंसिग/वर्चुअल मोड के माध्यम से अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेंगे। प्राप्त सूची के अनक्रम में ऐसे विचाराधीन बन्दी/किशोर अपचारी जो जमानत के इच्छुक हों जमानत प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण करेंगे।

8— यदि कोई विचाराधीन बन्दी/ किशोर अपचारी दी गई शर्तो के अन्तर्गत अन्तरिम जमानत हेतु अर्ह हो, परन्तु वह रिहा होने से इन्कार करता है तो उस बन्दी से लिखित असहमति प्राप्त कर संरक्षित रखें। लिखित असहमति न देने की दशा में न्यायिक अधिकारी उक्त आशय का पृष्ठांकन कर आदेश संरक्षित रखेगें।

9— जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे जमानत प्रार्थना पत्र की प्रतियों को जरिये ई—मेल न्यायालय को प्रेषित करेंगे तथा मूल प्रति अपने पास संरक्षित रखेंगे। न्यायालय द्वारा आहूत करने पर मूल प्रति न्यायालय को प्रेषित कर छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा उक्त की प्रविष्टि एक रजिस्टर में भी करेंगे।

10— अन्तरिम जमानत पर रिहा होने वाले विचाराधीन बन्दी/ किशोर अपचारी के द्वारा एक बन्धपत्र दिया जायेगा तथा उसी बन्ध पत्र पर विचाराधीन बन्दी/ किशोर अपचारी द्वारा इस आशय का वचन (Under Taking) दिया जायेगा कि वह 60 दिन की समाप्ति पर (तिथि जो जमानत आदेश में उल्लिखित होगी) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में आत्म समर्पण करेगा।

11— सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी चाहें तो जमानत आदेश में बन्ध पत्र के अतिरिक्त अन्य शर्ते भी अधिरोपित कर सकते हैं।

12— (A) अधिकारीगण प्रत्येक अन्तरिम आदेश में स्पष्टतः अपराध संख्या, धारा, थाना, बन्दी किस न्यायालय से सम्बन्धित है उस न्यायालय का नाम, रिहा होने आत्मसमर्पण की तिथि इत्यादि अंकित करेंगे।

(B) यह भी अंकन किया जाय कि जमानत आदेश की मूल प्रति सम्बन्धित न्यायालय में मय बन्ध पत्र प्रेषित की जाय। जेल अधीक्षक/अधीक्षक बाल सम्प्रेक्षण गृह बन्ध पत्र की मूल प्रति अपने पास संरक्षित रखें एवं आहूत करने पर उन्हें न्यायालय को उपलब्ध करायें।

(C) मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय मामले में जमानत आदेश की मूल प्रति मुख्य न्यायिक मजि0 के फौजदारी लिपिक अपनी अभिरक्षा मे रखें व आदेशों को एक पंजिका में अंकित करें तथा सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय मामले में जमानत आदेश की मूल प्रति सत्र न्यायालय के सत्र लिपिक अपनी अभिरक्षा मे रखें व आदेशों को एक पंजिका में अंकित करें ।

(D) जब न्यायालय का संचालन सामान्य रूप से होने लगे तब अन्तरिम आदेशों की मूल प्रतियों को सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त कराकर अंकन उक्त पंजिका में करायें उक्त लिपिकगण छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

13— उपरोक्त अधिरकारीगण दाखिल होने वाले जमानत प्रार्थना पत्र की सूची तैयार कराकर प्रशासनिक कार्यालय व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त करायेंगे।

14— सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन बन्दी/किशोर अपचारी के अन्तरिम जमानत प्रार्थनापत्र तैयार कराने हेतु जेल अधिकारीगण, स्टाफ, पैरालीगल, वालण्टियर (P.L.Vs), पैनल लायर्स की सहायता लिये जाने हेतु आवश्यक व उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

15— पत्र संख्या—1039/SALSA-15/2020 (PS/ Sharan) Dated 30-04-2021 तथा उक्त पत्र के निर्देशानुसार In Re Inhuman conditions in 1382 prisoners, Bhim Singh Vs. Union of India(1)(2015) 13 S.C.C. 605, Arnesh Kumar Vs. State of Bihar (2014) 8 SCC 273 में वर्णित निर्देश का भी अनुपालन आवश्यक है।

माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों की छाया प्रतियां समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ उपलब्ध करायी जाए।

यह आदेश दिनांक 05.05.2021 से प्रभावी होगा।

तद्नुसार सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक—04.05.2021

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।

संलग्नक:
1—पत्र संख्या—1039 / SALSA-15/2020
(PS/ Sharan) Dated 30-04-2021 की प्रति।
2—पत्र संख्या—1042 / SALSA-15/2020
(PS/ Sharan) Dated 02-05-2021 की प्रति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:
1. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
2. जिलाधिकारी, अमेठी।
3. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, अमेठी।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर।
6. कारागार अधीक्षक, सुलतानपुर।
7. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर, सुलतानपुर।
8. प्रभारी अधिकारी नजारत, सुलतानपुर।
9. संयुक्त निदेशक(अभियोजन), सुलतानपुर।
10. जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, सुलतानपुर।
11. जिला अभियोजन अधिकारी, सुलतानपुर।
12. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायालय, सुलतानपुर।
13. अधीक्षक, बाल सम्प्रेक्षण गृह फैजाबाद।
14. बार एसोसिएशन, सुलतानपुर, कादीपुर एवं मुसाफिरखाना।

दिनांक—04.05.2021

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।